Journal Homepage: www. ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 10, pp 40-54, October 2025

कारागार का आंतरिक नक्शा : सुधारगृह में कैदियों की मानसिक, शारीरिक व सामाजिक पुनर्वास रचनाएं और परामर्शदाता की निकटतम मनोवैज्ञानिक अनुभवसिद्ध अंतर्दृष्टि

जनक [1], निमिशा गुप्ता[2]

*1(*प्रिजन काउंसलर – कारागार *विभाग,* तिहाड़ जेल, दिल्ली और नैदानिक मनोवैज्ञानिक *(*क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आर. सी. आई. */* सी आर आर / ए *– 80923)) Email ID : janakrajotiya@yahoo.in [ORCID ID - https://orcid.org/0009-0000-8378-4864]*

2*(*स्कॉलर – यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नैदानिक मनोवैज्ञानिक *(*क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आर. सी. आई. */ सी*आर आर / ए *– 73358)) Email ID : nimishag22@gmail.com*

सार

जीवन का आधार तन और मन से होता है। इंसान इस आधार को लेकर अकेला नहीं अपितु एक समाज में रहता है। यानी सामाजिक प्राणी होने के साथ - साथ तन, मन व समाज तीनों में संतुलन आवश्यक हो जाता है। इसी विचारधारा को लेते हुए यह कहा जा सकता है कि इन तीनों के संतुलन के बिगड़ने से इंसान अक्सर नैतिकता से परे हटकर आपराधिक प्रवृत्ति एवं आपराधिक विचारधारा में लिप्त हो जाता है। इसी अपराध और पुनःअपराध की प्रवृत्तियों को कम व दूर करने के लिए पुनर्वास व सुधारात्मक प्रक्रियाओं का आगमन हो जाता है। केंद्रीय कारागार तिहाड़ दिल्ली विश्व में अपने अत्यधिक सुरक्षात्मक ढांचे के साथ-साथ पुनर्वास व सुधारात्मक योजनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस लेख की शोध समस्या "कैदियों के मानसिक, शारीरिक व सामाजिक पुनर्वास व सुधार के लिए क्या-क्या साधन प्रणाली व प्रयोजन व्याप्त हैं" थी। शोध का मुख्य उद्देश्य "केंद्रीय कारागार में विचरणाधीन व दोषसिद्ध कैदियों के पुनर्वास व सुधार के लिए प्रायोजित साधनों व प्रयोजनों को विवरणित करना और उनकी मानसिक शारीरिक व सामाजिक दशा के उत्थान में उनका आकलन करना" था। यह वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है इसमें आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। कुछ जगह सहभागी अवलोकन व सामग्री विश्लेषण की मदद ली गई। केंद्रीय कारागार दिल्ली, तिहाड़ जेल संख्या –3 को चयनित किया गया जिसमें केंद्रीय कारागार अस्पताल, बिहेवियर थेरेपी वार्ड, नशा – मुक्ति केंद्र, परामर्श व मार्गदर्शन सेवाएं, योग व ध्यान केंद्र, गौशाला, इग्नू पुस्तकालय, इंडिया टुडे पुस्तकालय, खेल व सांस्कृतिक मनोरंजन की गतिविधियां और इग्नू अध्ययन केंद्र आदि को अवलोकन व विवरणात्मक अध्ययन के लिए चयनित किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण व प्रदर्शन के लिए तालिकाओं की सहायता ली गई। निष्कर्ष में यह पाया गया कि विभिन्न प्रकार के पुनर्वास के प्रयोजन यहां स्थापित हैं जैसे केंद्रीय कारागार अस्पताल में इसके बिहेवियर थेरेपी वार्ड एवं नशा – मुक्ति केंद्र के साथ-साथ परामर्श व मार्गदर्शन सेवाएं, गौशाला, इग्नू अध्ययन केंद्र व इसका पुस्तकालय, योग केंद्र, खेल व सांस्कृतिक मनोरंजन की गतिविधियां जो कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ -साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पुनर्वास व सुधार के लिए प्रभावशाली सिद्ध हो रहे हैं। यह सभी कैदियों के आचरण, आदतों व सोच में बदलाव कर अपराध व पुनःअपराध की भावनाओं को कम करने एवं दूर करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो सर्वांगीण विकास और सुधार में सहयोगी प्रतीत होती है और कैदियों के जीवन में उत्थान कर समाज में पुनःसमाकलन में अपनी भूमिका निभाएगी।

मुख्य शब्द – पुनर्वास, कैदी, कारागार, मानसिक स्वास्थ्य, पुस्तकालय, मनोचिकित्सा, परामर्श, शिक्षा, नशा – मुक्ति, बिहेवियर थेरेपी, ध्यान एवं योग, खेल।

परिचय

प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ – साथ मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की भी अपने जीवन में कार्यान्वयन के लिए जरूरत होती है। यदि इन तीनों में संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन के सभी पहलू भी हिल जाते हैं। यह इंसान के गलतियां करने व उत्पादकता की कमी का कारण बन सकता है जिसके फलस्वरूप गलतियां नैतिकता के अलावा सामाजिक नियमों व राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध भी अक्सर हो जाती है। जो इंसान को अपराध के जाल में घेर लेती है। यही अपराध का जाल इंसान के अक्सर जेल जाने का कारण भी बन जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है ताकि अपराध करने और पुनः अपराध करने में कमी लाई जा सके व इसको रोका जा सके।

कारागार को बंदीगृह के रूप में देखना या सुधारगृह के रूप में देखना हमारी सोच पर निर्भर करता है। प्रत्येक उत्तम कारागार का मूल उद्देश्य कैदियों की आपराधिक प्रवृत्तियों व आदतों में सुधार करना है। इसके अलावा कैदियों के पुनर्वास के लिए भी निरंतर प्रयत्न करना है जिससे उनकी मानसिक, शारीरिक व सामाजिक दशा में उत्थान हो सके। बिगड़ी हुई वस्तु जैसे गमले को सुधारना व सुधरे हुए गमले को और सुसज्जित करना एक अच्छे शिल्पकार की पहचान के साथ – साथ अच्छे शिल्पकार के उदारवादी यथोचित लक्ष्य को भी उजागर करता है। ऐसा गमला हर किसी को प्रसन्नता से भर देगा और आकर्षण का कारण भी बनेगा क्योंकि अब उसमें रूपांतरण हो चुका है। यह आपके मस्तिष्क की मानसिक छवि पर निर्भर करेगा कि वो गमला और शिल्पकार किसके प्रतीकात्मक हैं।

रॉबिंसन एंव क्रो (2008). पुनर्वास 'पूर्वावस्था की प्राप्ति की धारणा' से जुड़ा हुआ है, जो पुरानी (वांछनीय) स्थिति को लक्षित करना है। चिकित्सा के संदर्भ में पुनर्वास के बारे में विचार करना उसके पूर्ववस्था की प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में एक अच्छा बोध प्रकट करता है। जहां हम अक्सर किसी व्यक्ति के दुर्घटना में स्थाई क्षति के पश्चात होने वाले पुनर्वास के बारे में वार्ता करते हैं। यहां एक स्पष्ट बौद्ध होता है जिसमें पुनर्वास की प्रक्रिया से उसे व्यक्ति की 'सामान्य स्थिति में वापसी' में मदद शामिल होती है। उसको पुनःगतिक कौशल जैसे कि कैसे चलाते हैं (टूटे हाथ पैर की दशा में), संज्ञानात्मक कौशल की पुनःप्राप्ति जैसे स्मृति (मस्तिष्क चोट की दशा में) मदद दी जाती है। किसी भी दृश्य में पुनर्वास का अर्थ पूर्वावस्था की प्राप्ति, एक वांछनीय स्थिति में लौटना को प्रदर्शित करता है। पुनर्वास की क्रिया प्रवृत्ति के पदच्युत करने, अपराध करने की इच्छा या आवश्यकता को दूर करने के लिए अंतक्षेप प्रावधानों को भी शामिल करती है। पुनर्वास का एक प्रतीकात्मक पहलू भी है, जैसे कि इसका अर्थ पुराने स्तर को प्राप्त करना, कानूनी आज्ञा पालनकर्ता नागरिक के रूप में जिसको स्वीकार किया जाए और वह अन्य समुदाय के सदस्यों की तरह है वही समान अधिकारों का लाभ उठा सके। पुनर्वास को 'पूर्वावस्था की प्राप्ति' के अतिरिक्त भी समझने और विकसित करने की जरूरत है यानी के किसी अपराधी की मूल दशा में (वापसी की प्राप्ति के विरुद्ध हटके) में उत्थान करना। इसलिए यह ये अभिप्रेरित करता है कि अपराधी के पुनर्वास की परिभाषा होगी 'बेहतर या बदलाव के लिए परिवर्तन'।

यूएनओडीसी (2018). पुनर्वास का अर्थ विभिन्न प्रकार के व्यवधानों से है जिनका लक्ष्य एक अपराधी को अपराध से दूरी बनाने में बढ़ावा देना है व पूर्वावस्था की प्राप्ति में संवर्धन कर उद्धार करना है जिससे उसे एक शांतिप्रिय वह कानूनी आज्ञा पालनकर्ता का स्थान मिल सके।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 2(1)(ध) के अंतर्गत, "मानसिक बीमारी" चिंतन, भाव, अनुभूति अभिमुखता या स्मृति का ऐसा सारभूत रोग है जिसमें निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की योग्यता या जीवन की सामान्य मांग की पूर्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है। ऐसी मानसिक स्थितियां जो मादक व नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी हो भी इसमें आती है परंतु मानसिक मंदता जो की चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति हो, नहीं शामिल है। विशेषतया बुद्धि की अवसामान्यता वाली अवस्था।

इसी की धारा 2(1)(ब) में बताया है कि मानसिक रोग से ग्रसित कैदी से आशय उसे व्यक्ति से है, एक ऐसा विचारनणाधीन कैदी या दोषसिद्ध कैदी जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और जिसे जेल में रखा गया हो।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 3(1) में मानसिक बीमारी का निर्धारण करने के लिए यह दिशा दी है कि इसका निर्धारण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत चिकित्सा मानक (नवीनतम संस्करण इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ़ डिजीज डब्लू एच ओ) हो या जो भी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है शामिल होगा। (2) कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण किसी व्यक्ति का वर्गीकरण मानसिक बीमारी के रूप में नहीं करेगा। जब तक की मानसिक बीमारी के इलाज के उद्देश्य से सीधा संबंध ना हो या अन्य ऐसे मुद्दे जो इस अधिनियम में आते हैं। (3)(क) इसका निर्धारण किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक सदस्यता, जाति, धर्म या किसी भी अन्य जरूरी कारण जो सीधा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो नहीं होगा। (ख) नैतिक मूल्यों, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक मूल्य या धार्मिक विश्वास जो अनुरूपता से मेल ना खाते हो या व्यक्ति के समुदाय में व्याप्त हो नहीं होगा। (4) किसी व्यक्ति के या उसके भविष्य के मानसिक रोग के निर्धारण का किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में पूर्व इलाज या भर्ती के आधार पर निर्धारण न्यायसंगत नहीं ठहराया जाएगा। (5) एक सक्षम अदालत जब तक किसी व्यक्ति को विकृत मानसिक व्यक्ति ना घोषित कर दे तब तक व्यक्ति की मानसिक बीमारी का निर्धारण का अर्थ विकृत मानसिकता नहीं होगा।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 18(1) के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच के अधिकार के बारे में अवगत कराया गया है, किसी भी यथोचित सरकार द्वारा प्रदान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज के उपभोग करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा। (2) मानसिक स्वास्थ्य और इलाज के उपभोग का अधिकार ऐसी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से होगा जो सस्ती कीमत, अच्छी गुणवत्ता, प्रचुर मात्रा में उपलब्धि व भौगोलिक सुलभता पर हो तथा बिना किसी लिंग, जाति, यौन अभीसंस्करण, धर्म, संस्कृति, सामाजिक व राजनीतिक विश्वास, वर्ग, अपंगता या किसी अन्य आधार पर हो। इस तरह प्रदान की जानी चाहिए जो मानसिक रोगी व उनके परिवार और देखभाल कर्ता के द्वारा स्वीकार्य हो। (6) सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सरकार द्वारा आपातकालीन व

आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। (10) यथोचित सरकार जरूरी दवाइयों की सूची निर्धारित करेगी और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व संस्थानों में सभी मानसिक बीमारी से ग्रस्त रोगियों को सभी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 23(1) के अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार को उजागर किया गया है जिसमें प्रत्येक मानसिक रोगी को उसके मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख, इलाज व शारीरिक स्वास्थ्य देख – रेख के संदर्भ में गोपनीयता का अधिकार होगा। (2) सभी स्वास्थ्य पेशेवर मानसिक रोगियों की देखभाल और इलाज के दौरान प्राप्त की गई जानकारी को गोपनीय रखने का कर्तव्य निभाएंगे। (क) कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जैसे इस अधिनियम में नामित प्रतिनिधि को अपने कर्तव्य निर्वहित करने वाले को जानकारी देना। (ख) अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को जानकारी देना जो मानसिक रोगी की देखभाल और इलाज में लगे हो। (ग) किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या क्रूरता से बचने के लिए, जरूरत पड़ने पर जानकारी देना। (घ) केवल ऐसे व्यक्ति को जो पहचाने गए नुकसान या हानि के बचाव में लगे हो। (ङं) जीवन को खतरे से रोकथाम के लिए। (च) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र प्राधिकरण संबंधित मंडल या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश पर। (छ) जनता की सुरक्षा या बचाव के हित में।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 29(1), मानसिक स्वास्थ्य उत्थान व रोकथाम कार्यक्रम – उपयुक्त सरकार को मानव स्वास्थ्य के उत्थान और मानसिक बीमारी की रोकथाम के लिए योजना बनाने, रूप – रेखा बनाने और कार्यान्वियन के लिए कर्तव्यशील रहना होगा। (2) उपयुक्त सरकार देश में आत्महत्या करने या आत्महत्या के प्रयास करने की रोकथाम के लिए भी योजनाएं बनाएगी।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 30(क) मानसिक स्वास्थ्य व बीमारी के बारे में जागरूकता और इससे संबंधित कलंक व बीमारी को कम करने के बारे में यथोचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पैमाने तय करेगी कि इस अधिनियम के प्रावधानों को जनसाधनों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी और ऑनलाइन साधनों के माध्यम से चारों ओर प्रचार करेंगी। (ख) कलंक को कम करने से जुड़े कार्यक्रमों की योजना प्रभावशाली तरीके से करेगी। (स) यथोचित सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत आए मुद्दों पर जागरूकता प्रशिक्षण व सामाजिक संवेदना दी जाएगी ताकि वे इन्हें पहचाने।

मानसिक स्वास्थ्य देख – रेख अधिनियम (2017). धारा 103(6) मानसिक रोग से ग्रस्त कैदी के इलाज के आदेश और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना – यथोचित सरकार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य के कम से कम एक जेल के चिकित्सा विंग में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करेगी और प्रत्येक राज्य और मानसिक रोग से ग्रस्त कैदियों को उस मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में देख – रेख के लिए सामान्यतया भेजेगी।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1844 ~ मानसिक स्वास्थ्य की देख – रेख में व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण और निदान शामिल है। इसके साथ-साथ इलाज व पुनर्वासिय देख – रेख करना। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे मानसिक बीमारी हो या होने का शक हो इस दायरे में आता है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1845 ~ मानसिक स्वास्थ्य इकाई का अर्थ किसी ऐसे संस्थान से है जो जेल के परिसर में ही हो, जिसको मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की देख – रेख के लिए किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा नियंत्रित या कार्यान्वित किया जाए। वहां ऐसे व्यक्तियों को भर्ती भी किया जा सके या रखा जा सके ताकि उनकी देखभाल, इलाज, आरोग्य लाभ या पुनर्वास प्रदान किया जा सके।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1119 ~ जनकल्याण कार्यक्रम के आधारभूत लक्ष्य: (1) जेल में संरचनात्मक, धनात्मक और आरामप्रद वातावरण विकसित करना। (2) आपसी विश्वास और आत्मविश्वास के आधार पर अच्छा कर्मचारी – कैदी का संबंध पक्का करना। (3) कैदियों की देखभाल और कल्याण को सुनिश्चित करना। (4) कैदियों की आपातकालीन और अति आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखना। (5) बाहरी संसार में कैदियों को अपने परिवार और समुदायों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने में मदद करना। (6) स्व – अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जिसमें सभी ओपन और ओपन जेल स्थानांतरण में क्षमा – छूट देना और समय पूर्व रिहाई या मुक्ति शामिल है। (7) दृढ़ और सकारात्मक अनुशासन सुनिश्चित करना। (8) कैदियों की दीर्घकालीन जरूरत का ध्यान रखना। (9) व्यक्तिगत परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना। (10) सामूहिक गतिविधियों और सामूहिक मार्गदर्शन को प्रोत्साहन देना। (11) यथोचित आदतें और अभिवृत्ति दृष्टिकोण समाविष्ट करना और कैदियों को सामान्य सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार करना। (12) सपोर्टिव थेरेपी जैसे साइकोथेरेपी देना।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1010 ~ शिक्षा सभी मानसिक व शारीरिक मानवसंकायों के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण जरूरत है। यह एक ऐसा हथियार है जिससे कैदियों के ज्ञान, चरित्र व व्यवहार को ढाला व गढ़ा जा सकता है। यह कैदियों के सामाजिक वातावरण से समायोजन व समाज में पुनःसमाकलन को परम सुगम बनाने में भी सहयोग करता है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1014 ~ शिक्षा योजनाएं, (1) शिक्षा का उद्देश्य समाज में कैदियों के रूपांतरण, निर्माण व पुनःएकीकरण को सुविधाजनक बनाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शैक्षणिक कर्मचारी व न्यूनतम सुविधाएं जैसे कक्षाएं और पुस्तकालय हर जेल में होने चाहिए। (2) अशिक्षित कैदियों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। सुधारात्मक सेवाएं इस पर विशेष ध्यान देगी। (3) शिक्षा तीन स्तरों पर होनी चाहिए (क) निरक्षर कैदी शिक्षा (ख) मध्यवर्ती कैदी शिक्षा (ग) अग्रवर्ती कैदी शिक्षा।

शोध - पद्धति

इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया जिसमें आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रेक्षण (अवलोकन) विधि का मुख्यतया प्रयोग किया गया। प्रेक्षण विधि में आत्मनिष्ट व वस्तुनिष्ट (प्रबल रूप से) प्रकार और सहभागी अवलोकन की सहायता भी ली गई। इसके साथ-साथ सामग्री विश्लेषण विधि जहां रिकॉर्ड डेटा विश्लेषण को सलंगीत कर प्रयोग किया गया। इस शोध की शोध – समस्या "कैदियों के मानसिक, शारीरिक व सामाजिक पुनर्वास व सुधार के लिए क्या-क्या साधन प्रणाली व प्रयोजन व्याप्त हैं" थी। इस शोध का मुख्य उद्देश्य "केंद्रीय कारागार में विचरणाधीन व दोषसिद्ध कैदियों के पुनर्वास व सुधार के लिए प्रायोजित साधनों व प्रयोजनों को विवरणित करना और उनकी मानसिक शारीरिक व सामाजिक दशा के उत्थान में उनका आकलन करना" था। शोध – प्रविधि के चरण इस प्रकार हैं, इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय कारागार दिल्ली, तिहाड़ जेल संख्या –3 को चयनित किया गया जहां केंद्रीय कारागार अस्पताल भी स्थित है। प्रयोजनों में इसके केंद्रीय कारागार अस्पताल, बिहेवियर थेरेपी वार्ड, नशा – मुक्ति केंद्र, परामर्श व मार्गदर्शन सेवाएं, योग व ध्यान केंद्र, गौशाला, इग्नू पुस्तकालय, इंडिया टुडे पुस्तकालय, खेल व सांस्कृतिक मनोरंजन की गतिविधियां और इग्नू अध्ययन केंद्र आदि को अवलोकन के लिए लिया गया। प्रेक्षण विधि से आंकड़ों के विश्लेषण के लिए तालिकाओं की सहायता से भी आंकड़ों को विवरणित किया गया।

केंद्रीय कारागार अस्पताल

यह अस्पताल जेल संख्या –3 में ही उपस्थित है और बाकि जेलों में भी चिकित्सकीय क्लिनिक स्थापित है। इस अस्पताल में कुल 240 बेड कैदियों के लिए रखे गए हैं। नीचे दी गई तालिका में क्लिनिक व वार्डो की सूची दी गई है। यहां नई ओ पी डी व औषधालय भी है जिसमें कैदी अपनी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और निशुल्क जरूरी दवाइयों को ले सकते हैं। मनोचिकित्सा के लिए यहां आपातकालीन मनोचिकित्सा, नशा – मुक्ति केंद्र और बिहेवियर थेरेपी वार्ड भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर गंभीर रोग से ग्रस्त कैदियों को उच्च संस्थान जैसे दिन दयाल उपाध्याय अस्पताल, जी बी पंत अस्पताल, इहबास मानसिक अस्पताल व अन्य अस्पतालों में भी कैदियों को इलाज व निदान के लिए भेजा जाता है। अन्य अस्पतालों से भी इलाज के लिए सुपरस्पेशलिटी क्लिनिक के चिकित्सक नियमित रूप से इस अस्पताल में कैदियों के इलाज के लिए बुलाए जाते हैं।

तालिका –1

केंद्रीय कारागार अस्पताल के बेड़ों के वर्गीकरण की सूची

क्र. स.	बेड वार्ड	बेड की संख्या
1	जनरल केजुअल्टी वार्ड	10
2	साइकाइट्रिक केजुअल्टी वार्ड	10
3	मेडिसिन वार्ड	20
4	बी. टी. वार्ड	40
5	सर्जरी वार्ड	20
6	आइसोलेशन वार्ड (टी. बी., स्किन)	20

क्र. स.	बेड वार्ड	बेड की संख्या
7	डी. ए. सी. वार्ड	120
योग	कुल वार्डो के बेड़ों की संख्या	240

तालिका – 2

<u>केंद्रीय कारागार अस्पताल की क्लीनिक की सूची</u>

क्र. स.	क्लीनिक का नाम
1	ऑर्थोपेडिक
2	साइकाइट्रिक
3	न्यूरोलॉजी
4	डेंटल
5	सर्जरी
6	इ. इन.टी.
7	ऑप्थॉल्मोलॉजी
8	डर्मेटोलॉजी
9	पैथोलॉजी
10	रेडियोलॉजी
11	मेडिसिन
12	फिजियोथैरेपी

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 485 ~ ये निम्नलिखित उपकरण और क्लिनिक जेल अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए : (1) दंत चिकित्सा क्लिनिक सभी उपकरणों के साथ। (2) चक्षु क्लिनिक (3) लघु शल्य चिकित्सा क्लिनिक (4) क्लीनिकल प्रयोगशाला (5) एक्स – रे प्रयोगशाला, डार्क कक्ष के साथ। (6) फिजियोथैरेपी (7) नशा मुक्ति इकाई (8) मनोचिकित्सा इकाई।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1860 ~ मानसिक स्वास्थ्य इकाई में सुविधाऐं : (1) न्यूनतम ज़रूरतें, (क) 10 बिस्तर की सुविधा जिसमें एक पूरे समय वाला मनोचिकित्सक या चिकित्सकीय अधिकारी जो मनोचिकित्सा में प्रशिक्षित हो। (ख) एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता हो। (2) सहायक सुविधा, (क) तात्कालिक मनोचिकित्सकीय देख – रेख (ख) सुसज्जित इलेक्ट्रिक कंवल्सिव थेरेपी (ग) साइकोडायग्नोस्टिक सुविधा हो।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 506 ~ बीमार कैदियों की चिकित्सा, प्रत्येक कैदी जो सक्रिय रोग से ग्रस्त है उसको चिकित्सा के लिए या तो बाहरी रोगी या दाखिल किए हुए रोगी के रूप में लाया जाएगा और उसका नाम पंजिका में नियत प्रपत्र में पंजीकृत किया जाएगा।

यह अस्पताल रोगियों की शारीरिक व मानसिक दशा को ठीक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां कैदियों को चिकित्सकीय वातावरण व जरूरी सुविधाएं मिल पाती हैं।

परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएं

परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक जेल में कैदियों की संख्या के अनुपात व जरूरत के हिसाब से 3 – 4 स्थाई परामर्शदाता (काउंसलर) उपस्थित रहते हैं। कोई भी कैदी परामर्श के लिए स्वतंत्र रूप से अपना नामांकन करा सकता है। परामर्श के लिए अन्य चिकित्सकों, मनोचिकित्सकों द्वारा भी कैदियों को भेजा जाता है। नए मुलायजा (प्रथम बार भर्ती हुए कैदी) का सर्वप्रथम मानसिक अवस्था के लिए निरीक्षण किया जाता है और कोई मानसिक समस्या या बीमारी मिलने पर उसको मनोचिकित्सकीय जांच व इलाज के लिए भी भेजा जाता है। परामर्श कैदियों की मानसिक अवस्था को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं जैसे पारिवारिक समस्या, जेल व अन्य कैदियों से समायोजन की समस्या, भाव संतुलन व नियंत्रण की समस्या, आक्रामकता व गुस्से पर नियंत्रण, मानसिक अवसाद, मानसिक दुश्चिंता, आत्महत्या के खतरे व अपने केस से उत्पन्न मानसिक समस्या आदि के लिए सहयोग प्रदान करती है। अन्य कैदियों को मानसिक समस्या के खतरे व बचाव के लिए प्रशिक्षित एवं संवेदनशील किया जाता है जो कि गुमसुम पंजा के रूप में संशय की दशा में बाकि कैदियों को परामर्श के लिए प्रेरित करते हैं।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1121 ~ ये परामर्श सुविधाएं होनी चाहिए, (1) जेल में भर्ती होने से पहले कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य अवस्था का अध्ययन उसके वर्गीकरण से पहले होना चाहिए। जिन कैदियों को मानसिक रोग निर्धारित किया गया हो उनको सेल्स में भेजने की बजाय विशेष संस्थानों में दिए गए नियमों के तहत भेजा जाना चाहिए। (2) जेल विभाग को जरूरतमंद कैदियों को परामर्श देने के लिए पेशेवर अर्हता प्राप्त परामर्शदाताओं को नियुक्त या संलग्न करना चाहिए। विशेषतया उन कैदियों के लिए जो मादक व नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित हो तथा दुष्प्रयोग के शिकार हो। (3) कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य का यथोचित और नियमित मूल्यांकन होना चाहिए ताकि जेल विभाग द्वारा प्रयोजनीय मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जा सके। (4) तीक्ष्ण मानसिक रोगों में यथोचित मनोचिकित्सकीय इलाज की जरूरत होगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 या प्रस्तुत समय के प्रभावशाली कानून के प्रावधानों से सरोकार किया जाए।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018).1122 ~ साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी जेल में प्रयोग की जा सकती है क्योंकि यह इलाज मानसिक रोगों से ग्रसित कैदियों के इलाज में प्रभावशाली माना गया है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1123 ~ ऐसी पुस्तिकाएं जिनमें कैदियों के अधिकार, कर्तव्यों, अनुशासन और दिन के नियमित कार्यों का वर्णन हो मुद्रित और वितरित की जानी चाहिए। जिससे कैदियों को "क्या गलत है और क्या सही है" का पता लग सके और अनुसरण स्वरूप अनुशासन बन सके। (परिशिष्ट – 1 में अधिकार और कर्तव्य पर छोटी पुस्तिका दी गई है।)

परामर्श कैदियों के आत्महत्या के प्रबल विचार व आत्महत्या के प्रयासों में कमी लाने में पूर्ण सहयोग देता है। हर साल नशा – मुक्ति दिवस व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन परामर्शदाताओं और जनकल्याण अधिकारी के द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसमें जेल अधीक्षक, अन्य जेल अधिकारी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्टाफ, मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, जनकल्याण अधिकारी व बाहरी अतिथि कैदियों को जागरूक करते हैं।

बिहेवियर थेरेपी वार्ड

बी.टी. वार्ड केंद्रीय कारागार संख्या – 3 के केंद्रीय कारागार अस्पताल में स्थापित है। इसमें 40 बेड की क्षमता है। जिसमें से 25+ बेड औसतन अधिकृत रहते हैं। कई बार तो सभी बेड अधिकृत रहते हैं। यह साइकियाट्री इकाई और आंतरिक रोगी वार्ड का मुख्य हिस्सा है। यह सभी परिसर तिहाड़, मंडोली, और रोहिणी जेल के सभी कैदियों को सम्मिलित करता है। ऐसी स्थिति में जब वह लगातार मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और उसको दीर्घकालीन इलाज की आवश्यकता है तब उसको बिहेवियर थेरेपी वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है। वहां पर मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयां और पुनर्वास तकनीक (परामर्श, योग और ध्यान इत्यादि) का प्रयोग किया जाता है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1842 ~ मानसिक बीमारियों को मनोचिकित्सकीय रोगों के रूप में या विकृत चित्त के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जिनका अर्थ है : (1) मनोविक्षपति (2) मानसिक मंदता (बुद्धि लब्धि 70 से नीचे) (3) तीव्र अक्षम न्यूरोसिस (विक्षिप्ति) जो किसी मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो। (4) मानसिक स्थितियां जो अल्कोहल (मादक द्रव्यों) और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रयोग से जुड़ी हो। (5) मन, समझ, आधार ग्रहण या चेतना संपन्न बीमारी जो विवेक, व्यवहार, सच पहचानने की योग्यता या दिन – भर की सामान्य जरूरत को करने को अत्यंत खराब कर दे।

नीचे दी गई तालिका में वार्ड में की जाने वाली प्रतिदिन की गतिविधियां दी गई हैं। यहां मनोचिकित्सक, नर्स व परामर्शदाता कैदियों के इलाज के लिए सहयोग करते हैं और मानसिक रोगों की गहनता से निदान व जांच करी जाती है। कैदियों की प्रगति और दवाई के प्रभाव व दुष्प्रभाव का विश्लेषण व हल किया जाता है।

तालिका – 3

बिहेवियर थेरेपी वार्ड की कार्यक्रम सारणी

सुबह

क्र. स.	क्रियाएं	समयावली
1	योगा और पी. टी.	07:45 - 08:00
2	बी. पी. लेखा	08:00 - 08:30
3	भीतरी खेल	09:30 - 11:00
4	सुबह की दवाइयों का वितरण	10:00 - 10:10
5	परामर्श सेशन	11:00 - 01:00
6	प्रगति विवरण	01:00 - 01:30
7	खुली व्यायामशाला और मनोरंजक गतिविधियां	01:30 - 02:30
8	जराचिकित्सकीय व्यायामशाला गतिविधियां	02:30 - 03:00

विराम समय ------------------------03:00 - 04:00 ----------------

शाम

क्र. स.	क्रियाएं	समयावली
1	बी. पी. लेखा	04:00 - 04:30
2	मैदानी खेल	04:30 - 06:00
3	शाम की दवाइयों का वितरण	08:00 - 08:10
4	टी. वी. देखना और आमोदिय गतिविधियां	08:10 - 10:30

नशा – मुक्ति केंद्र

नशे की बीमारी वाले कैदियों के लिए तिहाड़ जेल के केंद्रीय कारागार अस्पताल में सन 2007 में नशा – मुक्ति केंद्र खोला गया। यह केंद्रीय कारागार की सभी जेलों के सभी कैदियों की देख – रेख व इलाज के लिए पुनर्वास केंद्र है। यहां पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की टीम है जहां साइकिएट्रिस्ट (मनोचिकित्सक) नर्स (परिचारिका) और काउंसलर (परामर्शदाता) कैदियों का पुनर्वास व इलाज करते हैं। सर्वप्रथम, नशे की लत वाले कैदियों की मनोचिकित्सक द्वारा जांच होती है, तत्पश्चाप मनोचिकित्सकीय दवाइयों पर कुछ दिनों के लिए वे रखे जाते हैं ताकि उनके नशीले पदार्थ छोड़ने या ना मिलने की वजह से जो लक्षण आते हैं उनको काबू किया जा सके। उसके बाद में चुने हुए उचित कैदियों को परामर्शदाता के द्वारा मूल्यांकन होने के बाद दीर्घकालीन पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर दिया जाता है।

पुनर्वास केंद्र दीर्घकालीन समय के लिए नशे की लत वाले बीमार कैदियों की भर्ती करने के लिए अभिप्रेरित है जहां उन्हें कुछ महीने लगातार परामर्श सेशन द्वारा पुनर्वास से नशे की लत को छुड़ाने में मदद की जाती है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 449 ~ नशे से ग्रसित कैदियों को पहले भर्ती के समय पहचाना जाएगा। फिर बाकी कैदियों से अलग करके उनका इलाज करने के लिए नशा – मुक्ति वार्ड भेजना होगा। उनको नशा मुक्ति इलाज के लिए चिकित्सकीय देख – रेख में कुछ समय के लिए रखा जाएगा तथा बाद में नशा – पुनर्वास वार्ड में स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसे कैदियों को नशा –मुक्ति कराने वाले चिकित्सकों के द्वारा निर्धारित विशेष कार्यक्रम के तहत रखा जाएगा।

नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन की गतिविधियां जो पुनर्वास का हिस्सा होती हैं दी गई है। सभी कैदी रोगियों को निशुल्क जरूरत की दवाइयां मुहैया कराई जाती है।

तालिका – 4

नशा - मुक्ति केंद्र में की जाने वाली गतिविधियां और कार्यक्रम सारिणी (पुनर्वास वार्ड) (आसरा - भूतपूर्व नाम)

क्र. स.	क्रियाएं	समयावली
1	सुबह का नाश्ता और प्रार्थना	06:00 - 07:00
2	साफ - सफाई	07:00 - 08:30
3	पाठशाला	08:30 - 09:00
4	आराम	09:00 - 10:00
5	सामुदायिक सभा और सामूहिक परामर्श	10:00 - 11:00
6	दोपहर का भोजन और व्यक्तिगत परामर्श	11:00 - 12:00
7	फट्टा मिलाप	12:00 - 12:30
8	आराम	12:30 - 03:00
9	चाय का समय	03:00 - 03:30
10	पारिवारिक मिलाप	03:30 - 04:00
11	खेल	04:00 - 05:00
12	आराम	05:00 - 06:00
13	प्रार्थना और रात्रि हिरासत	06:00 - 06:30
14	आराम	06:30 - 07:00
15	पंचायत मिलाप	07:00 - 08:00
16	रात्रि भोजन	08:00 - 08:30
17	मनोरंजक गतिविधियां	08:30 - 10:00

क्र. स.	क्रियाएं	समयावली
18	रात्रि कार्य	10:00 - 06:00

गौशाला

तिहाड़ जेल को परिवर्तनात्मक कैदी पुनर्वास कार्यक्रम जिसमें गौशाला स्थापित है के लिए जाना जाता है। इसकी सहायता से कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्थान व जीवन को सही स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग मिलता है। सन 2017 में पशु देख – रेख के जरिए पुनर्वास करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था। यह कैदियों की जेल से छूटने के बाद समाज में उन्हें समाकलन में मदद करता है। यह जेल के परिसर के अंदर ही स्थापित है जहां कैदियों को एक ऐसा स्थान उपलब्ध होता है कि वह गायों के साथ मेल – जोल कर सके और पशुपालन कौशल सीख सके।

यह गौशाला सन 2014 में खोली गई थी। नीचे दी गई तालिका में सभी पशुओं का ब्यौरा दिया गया है। यहां वर्तमान में कुल 32 पशु हैं। उन सभी के लिए 16 बड़ी खोर बनाई गई हैं जिसमें गाय चारा खा सकती हैं। कम से कम 5 लोग इनकी देखभाल व सेवा में लगे रहते हैं और बाकी कैदियों को भी पशु पालन में कुशलता प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। कैदी गोसा, उपला व दूध निकालना भी सीखते हैं और पशु की देखभाल के लिए पंखों व गद्दों के प्रयोग व उपयोगिता सीखते हैं। कैदियों को यहां अपने परिवार जैसा महसूस होता है और पशु देखभाल करके अच्छा समय व्यतीत होता है। चारे का हिसाब करना व चिकित्सकीय जरूरतों को भांपना भी कैदी अवलोकन करके सीखते हैं। एक तरफ व्यावसायिक कौशल तो दूसरी तरफ मानसिक अवसाद, रोगों से लड़ने की क्षमता भी इनमें पैदा होती है। यहां कैदी जानवरों के प्रति प्यार, प्रेम व संवेदनशीलता सीखते हैं जिससे पशु क्रूरता अपराध से भी खुद को व दूसरे लोगों को दूर रखना सीखते हैं।

तालिका – 5

गौशाला में रहने वाले पशुओं के प्रकार की सूची

क्र. स.	पशु — प्रकार	संख्या
1	काली गाय	4
2	सफेद गाय	3
3	लाल गाय	6
4	बड़े बैल	2
5	बछड़ा	4
6	बछिया	5
7	दूध देने वाली गाय	8
योग	सभी पशुओं को मिलाकर संख्या	32

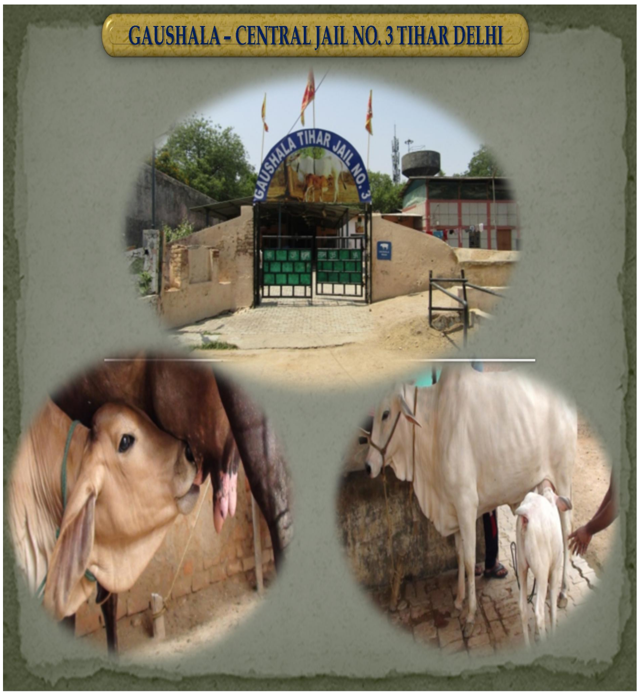

चित्र – 1 (गौशाला)

शिक्षा (इग्नू अध्ययन केंद्र)

यह कैदियों को शिक्षित करने की एक सार्थक पहल है जो कैदियों की समाज में पुनःसमाकलन करने के कौशल और सशक्तिकरण में सहायता करता है। इसका उद्देश्य कैदियों को उनकी अकादमीय व व्यावसायिक शिक्षा को जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करना है। जिससे उनका पुनर्वास हो सके। यह सजा के पूरा होने के पश्चात, जेल से छूटने पर नए कौशल प्राप्त करने में मदद करेगा। दूसरा यह है कि कैदियों के सुधार के उत्थान में भी मदद करेगा। शिक्षा को एक पुनःअपराधवाद को कम करने की कुंजी समझा जा सकता है। जो उनको उत्पादकीय जीवन जीने का नेतृत्व करेंगी। इग्नू एक सुगम अधिगम का कार्य करता है जहां दूरस्थ शिक्षा तंत्र यह सुनिश्चित कर सके की कैदी अपनी सजा काटने या जेल में रहने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सके या शुरू कर सके। नीचे दी गई तालिका में इग्नू से किए जाने वाले कोर्स कि सूची दी गई है।

तालिका – 6

<u>इग्नू अध्ययन केंद्र में प्रदान किए जाने वाले कोर्स की सूची</u>

क्र. स.	प्रोग्राम	पात्रता	माध्यम
1	सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रीशन	दसवीं	अंग्रेजी/ हिंदी
2	सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट	बाहरवी	अंग्रेजी/ हिंदी
3	बैचलर ऑफ आर्ट्स	बाहरवी	अंग्रेजी/ हिंदी
4	बैचलर ऑफ कॉमर्स	बाहरवी	अंग्रेजी/ हिंदी
5	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी	ग्रेजुएशन	अंग्रेजी/ हिंदी
6	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश	ग्रेजुएशन	अंग्रेजी
7	मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी	ग्रेजुएशन	हिंदी
8	पोस्ट ग्रेजुएट डिपोलमा इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑपरेशन्स	ग्रेजुएशन	अंग्रेजी/ हिंदी
9	पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ	ग्रेजुएशन	अंग्रेजी/ हिंदी

चित्र – 2 (इग्नू अध्ययन केंद्र)

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1009 ~ शिक्षा कैदियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा से उनकी आदतों, दृष्टिकोण और पूर्ण परिप्रेक्ष्य में बदलाव आ सकता है। कैदियों की शिक्षा सामाजिक हित लाभ भी है और यह उनमें पुनर्वास तथा पुनःसमाकलन का भी संचालन करता है। शिक्षा अपराधों को करने की प्रवृत्ति में कमी लाता है। इसका अर्थ होगा आपराधिक मामलों में दुर्बलता, अपराध पीड़ितों में कमी, कैदियों में कमी, अतिसामाजिक उत्थान में सहयोगी लोगों की मौजूदगी, आपराधिक न्याय तथा कानूनी परिवर्तनों पर खर्च में कमी।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1011 ~ जेल में जीवन बहुत ही नीरस व स्थाई सा हो जाता है। जहां कैदियों को पर्याप्त शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने की जरूरत होती है ताकि वे जेल से छूटने के बाद स्व – सहायक जीवन व कानून के पालन कर्ता के रूप में योग्य बन सके। यह समझना आवश्यक है कि कैदियों को बिना किसी सुधार के प्रयत्न के जेल में रखना एक अनुत्पादकीय अभ्यास है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1012 ~ जेल में शैक्षणिक कार्यक्रमों का उद्देश्य कैदियों की शक्ति को संरचनात्मक व रचनात्मक लक्ष्यों में तटीकरण करना है। उनके अंदर आत्मविश्वास की अनुभूति विकसित करना, सामाजिक जिम्मेवारी व चेतना पैदा करना समुदायों में समायोजन के लिए जरूरी आदतें और अभिवृत्ति का पोषण करना, अपराधिय जीवन की निरर्थकता की जागरूकता देना, नैतिक रूप से उत्थान करना व मानसिक शारीरिक उन्नति करना है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1013 ~ जेल में व्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम के उद्देश्य: (1) अनपढ़ कैदियों को न्यूनतम शिक्षा स्तर तक ले जाने के लिए अवसर देना। (2) शिक्षित कैदियों के अतिरिक्त शिक्षा में बढ़ोतरी करने की सुविधा देना। (3) एक नागरिक के कर्तव्यों की अच्छी समझ को विकसित करना। (4) एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन जीने और समाज के प्रति अभिवृत्ति सुधार में उन्नति करना। (5) अच्छी सामाजिक व नैतिक आदतों का विकास करना ताकि वे छूटने पर जीवन में समायोजन कर सके। (6) सामाजिक जीवन जीने में व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन से उनके व्यक्तित्व और योग्यता को सुधारने में मदद करना। (7) कानूनी आज्ञा का पालन करने के फायदे व आपराधिक जीवन की निरर्थकता के बारे में जागरूक करना। (8) स्व – विकास के लिए स्थाई रुचि विकसित करने का प्रयत्न करना। (9) सामाजिक जिम्मेवारी की समझ पैदा करना।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1015 ~ शिक्षा कार्यक्रमों की प्रकृति: (1) शारीरिक शिक्षा (योग, स्वास्थ्य व आरोग्य – शास्त्र) (2) विद्या मूलक शिक्षा (3) सामाजिक शिक्षा (4) व्यावसायिक शिक्षा (5) नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा (6) सांस्कृतिक शिक्षा (7) संगणक शिक्षा (8) कानूनी शिक्षा।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1016 ~ शिक्षा की नीतियां, (1) निरक्षर कैदी को साक्षर बनाना। (2) कैदियों की शैक्षणिक अर्हता में विकास करना जो पहले से थोड़े पढ़े लिखे हो।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1025 ~ कर्मचारी व उपकरण सामग्री: (1) जरूरी उपकरण व सामग्री, जैसे किताबें, लेखन सामग्री, कागज कलमें और उपस्कर (फर्नीचर) आदि, सरकारी खर्च पर उपलब्ध हो। प्रत्येक जेल में एक इमारत पाठशाला के रूप में संरचित हो। (2) कैदियों के रहने का इंतजाम शैक्षणिक जरूरत के हिसाब से प्रबंधित होना चाहिए ताकि वे शिक्षकों द्वारा अभीहस्तांकन का कार्य अपने बैरक या सेल में पूरा कर सकने योग्य हो।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1027 ~ परीक्षा, अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से करने के लिए निम्नलिखित रियायतें देनी चाहिए जैसे (1) प्रत्येक शैक्षणिक परियोजना के पश्चात उनकी परीक्षा ली जाए। शैक्षणिक विभाग द्वारा यह परीक्षाएं जेल के अंदर ही आयोजित कराई जानी चाहिए। (2) कोई परीक्षा शुल्क कैदियों से ना लिया जाए और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक विभागों व अन्य संस्थाओं को सिफारिश के लिए नामांकन के लिए भेजा जाना चाहिए।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1028 ~ बाहरी संस्थाओं से संपर्क, जेल विभाग को शैक्षणिक विभागों जैसे एन ओ एस, इग्नू और अन्य अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क स्थापित करना चाहिए ताकि शैक्षणिक सामग्री में अन्य मदद ली जा सके।

इग्नू अध्ययन केंद्र पिछले एक दशक से भी कई साल पहले से कैदियों को भिन्न प्रकार के कोर्स करने के अवसर दे रहा है। यहां अर्धवार्षीय तौर पर लगभग 140 से भी ज्यादा कैदियों का दाखिला किया जाता है। वार्षिक आंकड़ों के हिसाब से औसतन लगभग 400 से भी ज्यादा कैदी किसी न किसी कोर्स में पंजीयत रहते है। किसी भी कोर्स के लिए कोई शुल्क कैदियों से नहीं लिया जाता और परीक्षा के लिए भी अंदर ही परीक्षा देने का सुनियोजित वातावरण में स्थान उपलब्ध रहता है। कैदियों को अध्ययन सामग्री, कोर्स पुस्तकें भी नि:शुल्क मुहैया कराई जाती है। बाहर से अध्यापकों को भी बुलाया जाता है जो कैदियों को पढ़ा सके। कक्षा और कुर्सी, मेज व शांत वातावरण में पढ़ने के लिए कोर्स कर रहे छात्र कैदियों को एक साथ रहने व बैठने के लिए प्रबंध किया जाता है।

इग्नू पुस्तकालय एवं इंडिया टुडे पुस्तकालय

इंडिया टुडे पुस्तकालय पिछले दशक से कैदियों की पठन आदतों को पैदा करने के लिए सहयोग कर रही है। नीचे दी गई तालिका में यहां पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची दी गई है। यहां करीब 900 से भी अधिक किताबें मौजूद हैं।

इग्नू पुस्तकालय का आरंभ सन 2007 में सुचारू रूप से किया गया जो स्टडी सेंटर कॉम्प्लेक्स के रूप में कैदियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। इसको गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है। यहां 5000+ पुस्तकें, पत्रिकाएं और अखबार मौजूद है। इसके अलावा कुछ शैक्षणिक सी डी भी उपलब्ध हैं। नीचे दी गई तालिका में पुस्तकों की सूची दी गई है। दिन में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे तक कैदी इसमें आकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं और पढ़ने के लिए किताबें भी ले जा सकते हैं।

तालिका – 7

इग्नू पुस्तकालय (गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर पुस्तकालय) के किताबों, पत्रिकाओं की सूची

क्र. स.	पुस्तक	क्र. स.	पुस्तक	क्र. स.	पुस्तक
1	धर्म ग्रंथ	13	प्रबंधन	25	हिंदी भाषा
2	कंप्यूटर	14	सामाजिक विज्ञान	26	अंग्रेजी भाषा
3	रसायन शास्त्र	15	इतिहास	27	उर्दू भाषा
4	भौतिकशास्त्र	16	राजनीतिक शास्त्र	28	पंजाबी भाषा
5	गणित	17	भूगोल	29	फ्रेंच
6	जीव विज्ञान	18	अर्थशास्त्र	30	जर्मन
7	कानून	19	कहानी पुस्तक	31	रशियन
8	कृषि विज्ञान	20	लिटरेचर	32	इग्नू कोर्स पुस्तक
9	साहित्य	21	जीवनी	33	उपन्यास
10	नोवेल	22	ट्यूटोरियल एजुकेशनल सी डी	34	पत्रिकाएं
11	विजिलेंस इंडिया पत्रिका	23	सजक भारत पत्रिका	35	नया सवेरा पत्रिका
12	अखंड ज्ञान पत्रिका	24	हिंदुस्तानी जुबान पत्रिका	36	विभिन्न अखबार

तालिका – 8

इंडिया टुडे पुस्तकालय के किताबों की सूची

क्र. स.	पुस्तक	क्र. स.	पुस्तक	क्र. स.	पुस्तक
1	हिंदी	6	उड़िया	11	धर्म ग्रंथ
2	अंग्रेजी	7	संस्कृत	12	शायरी
3	उर्दू	8	कहानी पुस्तक	13	कविताएं

4	पंजाबी	9	उपन्यास	14	चुटकुले
5	इतिहास	10	परामर्श	15	मार्गदर्शन

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018).1029 ~ पुस्तकालय में दी जानी वाली सुविधाएं, (1) निम्नलिखित सुविधा पुस्तकालय में दी जानी चाहिए, अलग-अलग शिक्षण मानकों, बौद्धिक जरूरतों और कैदियों के ज्ञान के विकास की जरूरत को पूरा करने वाली किताबें पुस्तकालय में होनी चाहिए। (2) जेल पुस्तकालय किताबों, अखबारों और पत्रिकाओं से सुसज्जित होना चाहिए। यह सभी कैदियों को विस्तृत करनी चाहिए। कैदियों के पठन – विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। (5) इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण से अंकीकृत पुस्तकालय सामग्री भी उपलब्ध करानी चाहिए।

योग एवं ध्यान केंद्र

यहां पर एक बड़ा योग केंद्र बनाया गया है जहां योग करने की चटाई, पिंग पोंग बॉल और योगासन चार्ट दिए गए हैं। यह योग केंद्र शांत जगह पर ध्यान अभ्यास और योग करने के लिए कैदियों को प्रोत्साहित करता है। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे योग व ध्यान अभ्यास कराया जाता है। बिहेवियर थेरेपी वार्ड व अन्य अस्पताल के कैदी भी योग का अभ्यास करते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनाओं को समायोजित करने में मदद करता है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018).1030 ~ सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मेडिटेशनल थेरेपी (ध्यान केंद्रित थेरेपी) समग्र स्वास्थ्यप्राद के लिए प्रयोग की जानी चाहिए।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018).1129 ~ निश्चित घंटे के हिसाब से प्रतिदिन योग और ध्यान का अभ्यास करवाना चाहिए। गैर सामाजिक संगठनों की सहायता से भी ध्यान केंद्र खोले जाने चाहिए। इस बात का ध्यान करना चाहिए कि ध्यान अभ्यास के सेशन धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हो जहां धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो।

खेल व सांस्कृतिक मनोरंजन

जेल में हर साल जनवरी से फरवरी माह में कैदियों के लिए वार्षिक खेल उत्सव होता है। इस वार्षिक उत्सव को तिहाड़ ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है जो एक प्रकार का इंटर जेल कंपटीशन है जिसमें प्रत्येक जेल के कैदी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते है। खेल विजेताओं को ट्रॉफी (पदक) जेल अधिकारियों द्वारा प्रतियोगिता के अंत में कार्यक्रम आयोजित करके दिए जाते है। जैसे कि इस बार सन 2025 में जेल संख्या – 3 के कैदी प्रतियोगी कैरम व बास्केट बॉल खेल में सभी जेलों के प्रतिभागियों में विजेता रहे। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न खेलो की सूची दी गई है जो कैदियों को खेलने व सीखने को मिलते है। इन खेलो के लिए सभी आवश्यक सामग्री व खेल का समान, खेल के मैदान बने हुए है जहां सभी कैदी जो खेल में हिस्सा लेना चाहता हो अभ्यास करते है। खेल से कैदियों के शारीरिक व मानसिक विकास में मदद मिलती है। खेल शरीर के तंत्रिकातंत्र को सुचारू रूप से चालित करता है जिससे शरीर के साथ – साथ मन भी अच्छा होता है।

तालिका – 9

खेलों के प्रकार की सूची

क्र. स.	खेल	क्र. स.	खेल	क्र. स.	खेल
1	टेबल टेनिस	5	कैरम बोर्ड	9	बास्केटबॉल
2	शतरंज	6	फुटबॉल	10	क्रिकेट
3	लूडो	7	वॉलीबॉल	11	टग ऑफ वॉर
4	खो–खो	8	कबड्डी	12	बैडमिंटन

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018).1126 ~ कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए सभी जेल संस्थानों में सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियां प्रबंधित की जानी चाहिए। यह सभी गतिविधियां कैदियों के पुनर्वास कार्यक्रम की आधारभूत तत्व होती हैं। यह संस्था के समकालीन भाग की व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1127 ~ मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां, सुरक्षा पैमानों, कैदियों के प्रकार, मौसम और स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रबंधित होनी चाहिए। इन गतिविधियों में शामिल हो सकता है: बाहरी खेल, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जिमखाना आदि। भीतरी खेल, जैसे शतरंज, लूडो और कैरम इत्यादि। फिल्म – शो, संगीत, लोक नृत्य, ड्रामा, कला और शिल्प, हस्तशिल्प, पठन कार्य और दूरदर्शन यह सभी भी आयोजित किए जाने चाहिए जो कैदियों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करते हैं।

कैदियों के लिए कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे संगीत, चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। यहां पर एक वृद्धों के लिए विशेष जिमखाना भी है जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग व्यायाम कर सकते हैं।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1128 ~ प्रत्येक जेल में वार्षिक खेल और सांस्कृतिक मिलाप होना चाहिए। अन्तर्जेल खेल प्रतियोगिताओं का कैदियों के लिए गठन करना चाहिए। अन्य खेल समूह जो जेल से बाहर का हो उनको भी कैदियों के साथ खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

कई बार बाहरी व्यक्तियों व पेशेवरों को जेल में बुलाया जाता है जिसमें मूवमेंट थेरेपी व नृत्य के जरिए गुस्से व भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाया जाता है। कुछ धार्मिक कार्यक्रम जैसे राम – कथा का आयोजन कर भक्ति भाव और आध्यात्म के जरिए कैदियों में सुधारात्मक प्रयत्न किए जाते है। राष्ट्रीय पर्वों पर जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की जाती है और कैदियों को अलग – अलग कलाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। कैदी कविता, ड्रामा, नृत्य, गीत व भाषण कौशल को सभी के सामने व्यक्त और प्रस्तुत कर पाते है। ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग व दिव्यांग भी इसमें बाकी कैदियों के साथ हिस्सा लेकर समेकित सामूहिक गतिविधियों का निर्माण कर पाते हैं जिससे मैत्री भाव और दूसरों को समझने का मौका मिलता है।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1130 ~ विख्यात शख्सियत के लोगों को जो कला, खेल, साहित्य, संस्कृति और संगीत में नाम कमाए हो उनको जेल में अतिथि रूप में विशेष अवसरों पर बुलाया जाना चाहिए। ताकि वे प्रेरणा स्रोत बनकर कैदियों को प्रेरणा दे सके।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1131 ~ प्रत्येक जेल में बाहरी खेल के लिए खेल का मैदान और सामुदायिक सभा भवन होने चाहिए।

यहां एक बड़ा भवन भी है जहां सभी कैदी बैठकर कोई भी सभा एवं कार्यक्रम कर सके।

दिल्ली प्रिजन रूल्स (2018). 1136 ~ प्रत्येक जेल में कैदी पंचायत होनी चाहिए। सावधानी से चुने हुए कैदियों से सम्मिलित यह पंचायत होनी चाहिए। जो अच्छे आचरण के हो तथा गतिविधियां प्रबंध करने में योग्यता पूर्ण हो। इन पंचायत को प्रतिदिन की मनोरंजक गतिविधियों का नियोजन और निष्पादन करना चाहिए। यह कैदियों में जेल प्रशासन व प्रबंधन संबंधी सहभागिता की भावना पैदा करेगी। जोकि जनकल्याण और सुधार नीतियों का महत्वपूर्ण तत्व है। इन पंचायत को कैदियों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने और उनका निवारण करने के लिए अवसर स्वरूप भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

विभिन्न प्रकार के पुनर्वास के प्रयोजन यहां स्थापित हैं जैसे केंद्रीय कारागार अस्पताल में इसके बिहेवियर थेरेपी वार्ड एवं नशा – मुक्ति केंद्र के साथ-साथ परामर्श व मार्गदर्शन सेवाएं, गौशाला, इग्नू अध्ययन केंद्र व इसका पुस्तकालय, इंडिया टुडे पुस्तकालय, योग केंद्र, खेल व सांस्कृतिक मनोरंजन की गतिविधियां जो कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ -साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पुनर्वास व सुधार के लिए प्रभावशाली सिद्ध हो रहे हैं। ये सभी इन तीनों में संतुलन पैदा करके सभी कैदियों के आचरण, आदतों व सोच में बदलाव कर अपराध व पुनःअपराध की भावनाओं को कम करने एवं दूर करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो सर्वांगीण विकास और सुधार में सहयोगी प्रतीत होती है और कैदियों के जीवन में उत्थान कर समाज में पुनःसमाकलन में अपनी भूमिका निभाएगी।

संदर्भ

कर्लिंगर, एफ. एन., एवं ली, एच. बी. (2000). फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च (4 वां संस्करण). हरकार्ट कॉलेज पब्लिशर्स.

दिल्ली जी एन सी टी. (2018). दिल्ली प्रिजन रूल्स, 2018.

भारत. (2017). द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, 2017.

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. (2018). इंट्रोडक्टरी हैंडबुक ऑन द प्रीवेंशन ऑफ रिसिडिविज्म एंड द सोशल रिइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स (क्रिमिनल जस्टिस हैंडबुक सीरीज). विएना: यूनाइटेड नेशंस.

रॉबिंसन, जी. एवं क्रो, आई. (2009). इंट्रोड्यूसिंग रिहैबिलिटेशन: द थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट. इन ऑफेंडर रिहैबिलिटेशन: थ्योरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस (पीपी. 1–3)सेज पब्लिकेशंस लिमिटेड.

सिंह, ए. के. (2017). टेस्ट्स, मेजरमेंट एंड रिसर्च मैथड्स इन बिहेवियरल साइंसेज. नई दिल्ली, इंडिया: भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.